न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री दिपेन्द्रसिंह राठौर (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सागवाडा, जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रकरण संख्या :– 28/2012

दायर दिनांकः– 09/04/2012
निर्णय दिनांकः– 05/06/2015

1:– जगन्नाथ पिता हुका डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.
2:–काली बेवा हुका डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
3:– कचरू पिता पुजा डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
4:– कान्ति पिता पुजा डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
5:– नानुराम पिता पुजा डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
6:– रमेश पिता पुजा डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
7:– गटू पिता पुजा डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
8:– मंजूला पुत्री पुजा डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
9:– रूप बेवा पुजा डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
10:– रामजी पिता गांगजी डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
11:– थावरा पिता गांगजी डेण्डोर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
12:– भगवान पिता गांगजी उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी चतरपुरा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
13:– नानी पिता गांगजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी नया टापरा भासौर तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
14:– मेवा पिता गांगजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी मोवाई तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।
15:– हाकेर पिता गांगजी डेण्डोर पत्नि गोतम कटारा उम्र वयस्क निवासी हटवा तहसील सागवाडा डूंगरपुर राज.।

–वादीगण–

बनाम

1:–श्री हुरजी पिता सेंगा डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी खेरडी, तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2:– भेमालाल पिता धनजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी खेरडी तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3:– वालेंग पिता धनजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी खेरडी तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4:– माणका पिता धनजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी खेरडी तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5:– लक्ष्मण पिता धनजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी खेरडी तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।

Scanned by CamScanner

6:– लिमडी पिता धनजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी खेरडी तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
7:– कमला पिता धनजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी खेरडी तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
8:– पेम पुत्री धनजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी खेरडी तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
9:– शान्ता पुत्री धनजी डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी खेरडी तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
10:– नर्वदा बेवा गणपत डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी मोवाई तह. सागवाडा, जिला डूंगरपुर राजस्थान।
11:– प्रबन्धक महोदय आईसीआईसीआई लिमिटेड बैक शाखा सागवाडा।
12:– भूमिधारी तहसीलदार, सागवाडा ,जिला डूंगरपुर राजस्थान।

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राज.टी.एक्ट बंटवारा किये जाने ,द्योषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने ।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही गांव खेरडी चतरपुरा के निवासी है एवं एक ही पिता की सन्तानें है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण कि सयूक्त एवं शामलाती खाता की आराजीयात जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 दिनांक 21.02.2012 के अनुसार खाता नं 295 नया 215 पुराना मौजा खेरडी पटवार हल्का गडा झुमजी तहसील सागवाडा में स्थित है जो निम्न प्रकार है।–

कुल खसंरा 28	कुल रकबा 64बीघा 16 बीस्वा

इन्हीं पक्षकरान वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयूक्त एवं शामलाती खाता नं 94 नया 92 पुराना दिनांक 21.02.2012 मौजा चतरपुरा पटवार हल्का गडा झुमजी तहसील सागवाडा संवत् 2065 से 2068 भी इन्हीं वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है एवं एक ही पिता होमजी की सन्तानें है। उक्त आराजियात का ब्योरा निम्न है।

कुल खंसंरा 14	कुल रकबा 8 बीघा 4 बीस्वा

उक्त समस्त आराजियात का पक्षकारों के बीच मौखिक बंटवारा हो चुका है व मौके पर अपने अपने हिस्सें पर काबिज है परन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सहस्वामित्व व सहखातेदारी की होकर शामलाती में दर्ज है और इस वजह से पक्षकारान में अक्सर आपस में विवाद रहता है। और झगडा फसाद बड़ने से जमीन का सही उपयोग उपभोग नहीं हो पा रहा है। वादीगण अपनी स्वंय कि जमीन को उन्नत करने हेतु बैक से ऋण लेने एवं अन्य कार्यों हेतु कृर्षि ऋण लेने हेतु अक्सर मुश्किलें उत्पन्न हो रही है। उक्त सहस्वामित्व एवं शामलाती जमीन में प्रतिवादी नं 1 द्वारा अपना निजी कुएं की खुदाई की जा रही है इस हेतु हमारें बीच आए दिन विवाद होता रहता है तथा उसने वादी नं 1 की जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की तथा वादी की जमीन पर केंन मशीन लगा दी तथा वह हमारी जमीन पर बैक से मिलिभगत कर अवैध रूप से लोन बैक ऋण उठाने पर आमादा है। इस पर हमने दिनांक 12.03.2012 को बात की तो वह मरने मारने पर उतारू हो गया एवं कहने लगा कि जाओ तुम्हारें जो करना है कर लेना मैं इस सारी जमीन को गिरवी रख दुंगा मेंरी बहुत ही बैकों से सैटिंग है तुम मेंरा कुछ नहीं कर सकतें। इस सम्बन्ध में उसने सारी तैयारीया कर ली है एवं कागजात भी तैयार कर लिये है इसलिये उसे स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा ऐसा करने से रोका जाना आवश्यक हो गया है। उक्त जमीन सहस्वामित्व की होने से एवं

Scanned by CamScanner

बंटवारा नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण अक्सर विवाद करते रहते है तथा वादीगण को भी अक्सर कई प्रकार की भारी असुविधाओं का सामना पडता है। प्रतिवादी नं 1 हुरजी पिता सेंगा मुख्य रूप से संगा पिता होमजी के कोई सन्तान नहीं होने की वजह से गौद रहा है तथा सेंगा पिता होमजी ने ही उसे बचपन से अपने पास रखा ,शादी करवाई एवं अपने हिस्सें की जमीन का कब्जा उन्होंने हुरजी को वर्षो पूर्व सोंप दिया था तभी से हुरजी सेंगा पिता होमजी की जमीन पर काबिज एवं काश्त में है एवं अपने पिता धनजी की जमीन पर काबिज है। प्रतिवादी नं 1 का धनजी पिता होमजी की जमीन पर कभी कब्जा या काश्त नहीं रहा है। धनजी पिता होमजी की जमीन उनकें पुत्रों वालेंग , लक्ष्मण एवं भेमालाल ने वर्षो पूर्व मौखिक बंटवारा कर निरन्तर एवं बेरोकटोक काबिज काश्त में है।

वाद कारण दिनांक 12.03.2012 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नं 1 द्वारा वादी नं 1 की सीमा में नया कुऐं कि खुदाई शुरू की एवं केंन मशीन लगाया तथा वादी नं 1 को मां बहिन की गालिंया देते हुए झगडा किया एवं कहा कि मिलीभगत से मैं सारी जमीन को गिरवी रखने वाला हुँ एवं उक्त सम्पूर्ण जमीन को कभी रहनमुक्त नहीं कराउगां एवं निरन्तर उत्पन्न हो रहा है।

अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि वादी नं 1 व 2 की सम्पूर्ण जमीन मौजा खेरडी के खाता नं 295 नया 215 पुराना के अपने हिस्सें कुल भूमि के 1/4 भाग का बंटवारा कर उसका अलग अलग खाता ईन्द्राज किया जावें। वादी नं 3,4,5,6,7,8 एवं 9 के मौजा खेरडी के खाता नं 295 मुल के अपने हिस्सें 1/28 भाग तथा मौजा चतरपुरा के खाता नं 94 के अपने हिस्सें मुल के 6/28 भाग का बंटवारा कर इसका अलग अलग खाता ईन्द्राज किया जावें। इस आशय की स्थाई निषेघाज्ञा एवं द्योषणा पारित करना फरमावें कि प्रतिवादी नं 1 वादी नं 1,2 के स्वामित्व की जमीन पर कुआं खुदाई के दौरान कब्जा नहीं करें अतिक्रमण नहीं करें एवं मिलीभगत कर वादी एवं प्रतिवादीगण के सम्पूर्ण हिस्सें को रहन या गिरवी नहीं रखें। अगर रहन रखता है तो अपने भाग हुरजी पिता सेंगा डेण्डोर की आराजियात ही उत्तरदायी रहें।

प्रतिवादी सं 3,5,6,7,8,9,10 व 11 द्वारा बावजूद तामील उपस्थित न रहने पर दिनांक 02.07.2012 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रतिवादी सं 1 व 4 की ओर से वकील प्रतिवादी पैरवी न करना जाहिर करने पर उनके विरूद्ध दिनांक 08.10.2012 को एक पक्षीय कार्यवाही का प्रकरण साक्ष्यवादी में नियत किया गया। वादीगण द्वारा साक्ष्य में जमाबन्दी खतौनी मौजा खेरडी संवत् 2065–68 खाता सं 295 नया 215 पुराना की प्रतिलिपि (EX1) जमाबन्दी खतौनी मौजा चतरपुरा संवत् 2065–68 खाता सं 94 नया 92 पुराना की प्रतिलिपि (EX2) प्रस्तुत की। गवाह के रूप में जगन्नाथ पिता हुका डिण्डोर का शपथ पत्र (PW1) गटू पिता पुजा डिण्डोर का शपथ पत्र (PW2) गटूं पिता पुजा डिण्डोर का शपथ पत्र (PW3) कचरू पिता पुजां डिण्डोर का शपथ पत्र (PW4) कान्ति पिता पुजां डिण्डोर का शपथ पत्र (PW5) आदि प्रस्तुत किए। निर्णय निम्नानुसार है। –

वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी अनुसार खाता सं 94 में वादी सं 1 व 2 का 1/4 हिस्सा , वादी सं 3 से 9 का 1/28 हिस्सा, वादी सं 10 से 15 का 6/28 हिस्सा है । इसी प्रकार खाता सं 295 में वादी सं 01 व 02 का 8/12 हिस्सा , वादी सं 03 से 09 का 1/28 तथा वादी सं 10 से 14 का 5/28 हिस्सा है तथा वादी सं 15 का नाम ईन्द्राज नहीं है। चूकिं प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है तथा वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण द्वारा मात्र अपने हिस्सें का अलग खाता कायम करने की दाद चाही है अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तथा वादीगण के खाते में दुरस्ती कर उनका खाता हिस्सें अनुसार अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है। कि वें वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण नहीं करें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हों।

उपखण्ड अधिकारी

सागवाड़ा

Scanned by CamScanner